



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (३०प्र० सरकार का उपक्रम)

ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001

CIN:U31200UP2003SGC027458

विज्ञप्ति

**मा० ३०प्र० विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ के
१३वें रेगुलेशन संशोधन के अनुसार समस्त बहुमंजिला इमारतों/गेट बंद
आवासीय कालोनी (विकासकर्ता/बिल्डर्स द्वारा विकसित) में निवास
करने वाले उपभोक्ताओं हेतु आवश्यक सूचना**

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के अन्तर्गत ऐसे समस्त विद्युत उपभोक्ता जो विकासकर्ता/बिल्डर्स द्वारा विकसित कालोनियों/बहुमंजिला इमारतों में निवास करते हैं तथा जिन्हें बिल्डर/ विकासकर्ता द्वारा स्वयं एकल बिन्दु (सिंगल प्वाइंट) पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से संयोजन लेकर उपभोक्ताओं को संयोजन दिये जाते हैं, को सूचित किया जाता है कि अगर ऐसे उपभोक्ता जो विद्युत विभाग से सीधे अलग-अलग विद्युत संयोजन लेना चाहते हैं, वे सामूहिक रूप से नजदीकी सम्बन्धित विद्युत कार्यालय में आवेदन कर संयोजन प्राप्त कर सकते हैं। अलग-अलग विद्युत संयोजन देने की सुविधा उन्हीं बहुमंजिला भवनों/कालोनी में प्राप्त होगी जहां कम से कम ५० प्रतिशत अध्याशी विद्युत विभाग से सीधे संयोजन प्राप्त करने के इच्छुक होंगे।



@MDpvvnl

“राष्ट्र हित में विद्युत की बचत करें”

पत्रांक संख्या-7034 दिनांक-20.08.2019

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

Chief Engineer (Comm.)
Pashchimanchal Vidyut Vitaran Nigam Ltd.
Meerut